5881

दूरभाष— 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 4880 / 05 / 76 / एक / 2015—16 दिनांक 22 मार्च 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद—मऊ।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015—16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या—37 / 83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:—

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	433802011001024	IFSC Code UBIN0558605	234.962

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 07 ख्वाजाजहांपुर शिकटिया में रामदेव के मकान से कांशीराम आवास तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.054
2	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 02 मुहल्ला बरपुर पिचरोड से सुखदेव के प्लाट तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.805
3	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 07 ख्वाजाजहांपुर में बलिया मुख्य मार्ग से प्रसाद वाटिका होते हुये उमेशचन्द्र के मकान के आगे पिचरोड तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.283
4	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 04 मुहल्ला हनुमान नगर भीटी में मेवाराम के घर से राजदेव के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.277
5	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 04 मुहल्ला हनुमान नगर भीटी में पिच रोड से भोला ठठेरा के मकान एवं बृजेश दूबे के घर होते हुये उर्मिला तिवारी के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.584
6	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 04 मुहल्ला हनुमान नगर भीटी में घूरा राम के घर से नारायण राम के घर तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5.893
7	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड नं0 09 मुहल्ला निजामुद्दीनपूरा में ब्रम्हस्थान से बाबा वस्त्रालय के घर से होते हुये भीम सिंह के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.236
8	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड नं0 13 मुहल्ला सहादतपूरा में ध्रुव नारायण के घर से अखिलेश सिंह, कुमुदलता के मकान होते हुये रमेश राय, लालजी राजभर व दूलारे के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.250
9	मऊ	मलिन बस्ती—83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड नं0 13 मुहल्ला सहादतपूरा में सोनू सिंह के मकान से जोगेन्द्र राजभर का मकान होते हुये महावीर के घर होते	13.821

588/2

दूरभाष : 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
				हुये सम्मत स्थान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	
10	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 01 मुहल्ला परदहा में विरेन्द्र सिंह के मकान से कांशीराम आवास तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5.017
11	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 01 मुहल्ला परदहा में ब्लाक रोड से श्रीप्रकाश यादव का मकान होते हुये परदहा मिलरोड तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.919
12	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	मुहल्ला हकीकतपूरा मे शिवचन्द्र के घर से बनारसी के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2.410
13	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	मुहल्ला हकीकतपूरा मे मऊ आजमगढ़ राज्य मार्ग से मेनरोड से रामसोच का घर होते हुये सरकारी नहर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.888
14	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 मुहम्मदाबाद गोहना	वार्ड नं0 01 मुहल्ला फरीदपुर में बाबूलाल की दुकान से सुग्रीव का मकान होते हुये मेवा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	7.122
15	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 मुहम्मदाबाद गोहना	वार्ड नं0 01 मुहल्ला फरीदपुर में पचायत भवन फरीदपुर रोड से रेलवे लाइन तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.771
16	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	रामपुर चकिया में मऊ चिरैयाकोट मार्ग से रामहरख का घर होते हुये राम अवध के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2.044
17	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	रामपुर चकिया में मऊ चिरैयाकोट मार्ग से शकील अहमद, असीम, लियाकत के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.971
18	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	मुहल्ला भीटी में राजेन्द्र यादव के घर से सुरेश गुप्ता के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.542
19	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 -13 मुहल्ला सहादतपूरा में अखिलेश राय अशोक श्रीवास्तव का मकान होते हुये चकमेंहदी पुरानी तहसील सम्पर्क मार्ग तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.155
20	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 -13 मुहल्ला सहादतपूरा में नेशनल हाईवे रोड पुरानी तहसील चकमेंहदी पोखरा सम्पर्क मार्ग से अनील व रमेश के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.886
21	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 04 मुहल्ला भीटी में तमसा पुल से सनेही के घर के आगे तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.108
22	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 04 मुहल्ला भीटी में भृगु मौर्या के घर से जीवन राम इण्टर कालेज भीटी चौक सम्पर्क मार्ग व धोबी टोला तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.493
23	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 01 मुहल्ला परदहा में नेशनल हाइवे से परदहा मिलरोड व सदर तहसील रोड सम्पर्क मार्ग से सदानंद चौबे व मास्टर साहब के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.587

588/3

दूरभाष – 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
24	मऊ	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0प मऊ	वार्ड सं0 01 मुहल्ला परदहा में राना खातून के स्कूल से दिनेश चौहान के घर सम्पर्क मार्ग से चन्द्रशेखर केदार रामसेवक, अनुराग, संतोष व कांशीराम आवास तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.570.
25	मऊ	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड नं0 33 मो0 छित्तनपुरा हैदरनगर में रेलवे लाइन से शमीम, झिन्नक एवं शौकत हजाम का घर होते हुये नाला तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.696
26	मऊ	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड नं0 33 मो0 छित्तनपुरा हैदरनगर में नियाज अहमद के घर से समीर अगसर का घर होते हुए मस्जिद तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.699
27	मऊ	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड नं0 33 मो0 छित्तनपुरा हैदरनगर में मुस्तफा के घर से चुन्नू, शेखर, खुर्शीद, जफरूल्लाह का घर होते हुये अब्दुलसलाम के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5.881
	योग				234.962

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0 / परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार / स्थानीय विधि / नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत / अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र / अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों / योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक